राजभवन उत्तराखण्ड देहरादून

मैनुअल–1

राजभवन की विषिष्टियां–कृत्य और कर्त्तव्य

विशिष्टियां

भारत की लोकसभा में 01 अगस्त, 2000 को पारित संविधान संशोधन विधेयक यथा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 के अन्तर्गत 27वें राज्य के रूप में 'उत्तरांचल' का गठन हुआ। इस विधेयक के अन्तर्गत पर्वतांचल के विभिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित विधान सभा के 22 सदस्यों तथा विधान परिषद के 09 सदस्यों को मिलाकर कुल 31 विधायकों द्वारा उत्तराखण्ड की अंतरिम विधान सभा का गठन किया गया। लोक सभा की 05 तथा राज्य सभा की 03 सीटों वाले इस राज्य में विधान सभा की अब 70 सीटें हैं तथा 01 सीट ऐंग्लो इण्डियन प्रतिनिधि की है।

मध्य हिमालय क्षेत्र में 09 नवम्बर, 2000 को अस्तित्व में आये इस नये राज्य में मध्य रात्रि के तत्काल बाद 12.05 बजे श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पद की शपथ ली। प्रारम्भ में न्यू कैंट रोड पर स्थित बीजापुर गेस्ट हाउस को अस्थाई रूप से राजभवन बनाया गया, किन्तु स्थानाभाव तथा सुरक्षा–व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए 25 दिसम्बर, 2000 को राजभवन सर्किट हाउस, देहरादून में स्थानान्तरित किया गया। राज्यपाल सचिवालय पूर्ववत निर्माणाधीन राज्यपाल सचिवालय के भवन बनने तक बीजापुर गेस्ट हाउस में ही संचालित है।

देहरादून की अपनी एक प्रतिष्ठित पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और शैक्षिक महिमा और गरिमा रही है। गुरु रामराय द्वारा बसाये गये देहरादून को वर्ष 1830 में ब्रिटिश शासन द्वारा ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल घोषित किया गया, जहां वर्ष 1902 में 'सर्किट हाउस' निर्मित किया गया। इस सर्किट हाउस का प्रारम्भिक नाम 'कोर्ट हाउस' था, जिसमें मुख्यतया उत्तर प्रदेश के तत्कालीन अंग्रेज राज्यपाल बराबर ठहरते रहे। आजादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू जब भी देहरादून आते तो इसी सर्किट हाउस में ठहरना पसन्द करते थे। इसके बाद लगभग सभी प्रधानमंत्री और यदा–कदा राष्ट्रपति भी इसी ऐतिहासिक भवन में ठहरते रहे।

राजभवन देहरादून के अतिरिक्त उत्तराखण्ड को 'राजभवन नैनीताल' एक विरासत के रूप में मिला। कालांतर में नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के बाद वहां एक आकर्षक भव्य भवन निर्मित किया गया, जो 'गवर्नमेंट हाउस' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आजादी के बाद इसे 'राजभवन' का नाम दिया गया। राजभवन नैनीताल का शिलान्यास 27 अप्रैल, 1897 को हुआ था। इस भवन के निर्माण कार्य में लगभग दो वर्ष का समय लगा, जो मार्च, 1899 में बनकर पूर्ण हुआ। इस राजभवन में सर्वप्रथम निवास करने का सौभाग्य सर एनटोनी मैकडोनल को प्राप्त हुआ था। इसके बाद सर जेम्स ला टोच, सर जान हेवेट, सर जेम्स मिस्टन, सर हरकोर्ट बटलर और सर विलियम आदि जैसे अंग्रेज राज्यपालों ने इस राजभवन में निवास किया।

आजादी के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर के रूप में यहां रहीं। इस राजभवन परिसर का 220 एकड़ पर फैला समस्त भू–भाग पर्वतीय एवं वनाच्छादित है। इस राजभवन में आठ एकड़ में भवन स्थित है, जबकि 45 एकड़ में 18 होल्स का गोल्फ मैदान, 160 एकड़ में फोरेस्ट, स्वीमिंग–पूल के अतिरिक्त अनेक आवासीय भवन हैं। मुख्य भवन यूरोपियन पद्धति की गोथिक वास्तुकला पर आधारित है तथा देखने में अंग्रेजी के अक्षर 'ई' की आकृति का लगता है। इसका डिजाइन मुम्बई के तत्कालीन वास्तुशिल्पी, स्टेवेंस और अधिशासी अभियन्ता, एफ0ओ0 डब्लू0 ओरटेल द्वारा तैयार किया गया था। इस भवन में मुख्य सोपान को बर्मा टीक वुड से निर्मित गया है तथा शेष लकड़ी का कार्य मुख्यतः शीशम एवं साल से कराया गया है। राजभवन में स्थानीय पत्थरों का प्रयोग करके ऐशलर चिनाई में यह भवन निर्मित किया गया है। विश्व के सुन्दरतम राजभवनों में इस राजभवन की गणना की जाती है। राजभवन नैनीताल में गोल्फ क्लब विशेष महत्व रखता है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सर्व श्री मोतीलाल वोरा और श्री रोमेश भंडारी के बाद उत्तरांचल के प्रथम राज्यपाल, श्री सुरजीत सिंह बरनाला और उनके पश्चात् राज्यपाल, श्री सुदर्शन अग्रवाल तथा महामहिम श्री बी0 एल0 जोशी और वर्तमान में महामहिम श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने गोल्फ मैदान को और अधिक आकर्षक एवं सुविहार सम्पन्न बनाने तथा राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता आयोजित करने में काफी दिलचस्पी ली। ग्रीन हाउस सहित राजभवन में एक उद्यान भी है, जिसमें सब्जियां उत्पादित की जाती हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल ग्रीष्मकालीन राजभवन के रूप में इसे प्रयोग करते रहे हैं। उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद प्रायः गर्मियों में महामहिम श्री राज्यपाल देहरादून से कुछ दिनों के लिए राजभवन नैनीताल प्रवास पर रहते है।

राज्यपाल की संवैधानिक व्यवस्था

भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में राज्यपाल की संवैधानिक व्यवस्था इस प्रकार दी गई है :–

153. राज्यों के राज्यपाल– प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा :

परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात ही एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिये राज्यपाल नियुक्त किये जाने से निवारित नहीं करेगी।

154. राज्य की कार्यपालिका शक्ति–

(1) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात

(क) किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी के प्रदान किये गये कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जायेगी, या

(ख) राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधान मंडल को निवारित नहीं करेगी।

155. राज्यपाल की नियुक्ति– राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा।

156. राज्यपाल की पदावधि–

(1) राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुये राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। परन्तु राज्यपाल, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

157. राज्यपाल नियुक्त होने के लिये अर्हताएं – कोई व्यक्ति राज्यपाल होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है।

158.

(1) राज्यपाल संसद के किसी सदन या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जायेगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

(2) राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।

(3) राज्यपाल, बिना किराया दिये, अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा।

जहां एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वहां उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किये जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे।

(4) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किये जायेगा।

159– राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान– प्रत्येक राज्यपाल और व्यक्ति जो राज्यपाल कें कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष लिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।